मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 06-06-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
2.	जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
3.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
4.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
5.	डी0पी0ओ0, अजाविनी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
6.	भूमि विकास बैंक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
7.	जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु गये।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया एवं बताया गया कि दो-ढ़ाई महीने के बाद सोमवारीय बैठक आहूत की जा रही है, फलस्वरूप सभी पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी कि सरकारी कार्यो को धुत गति से सम्पादित किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास संबंधी कार्य हो सके। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र0	संबंधित विभाग /पदा0 का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	राजस्व (अपर समाहर्त्ता /प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व)	ऑपरेशन दखल देहानी :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऑपरेशन दखल देहानी के जितने भी मामलें हैं, उनका निष्पादन हरहाल में 30 जून, 2016 तक कर लिया जाना है। अतएव संबंधित अंचलाधिकारियों को पत्र निर्गत कर संसूचित करने एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेशित किया गया तथा अनुपालन से अगली सोमवारीय बैठक में अवगत कराने का निदेश दिया गया। अतिक्रमण वाद :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण वाद से संबंधित आदेश पारित किया गया था, जिसके आलोक में अतिक्रमण वाद के निष्पादन हेतु अग्रतर कार्रवाई किया जाना है।

बताया गया कि कुछ अतिक्रमित स्थल को चिन्हित किया गया है, जिन्हें नोटिस निर्गत हुआ है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। निदेश दिया गया कि कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज, अनुमण्डलाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज एवं सभी अंचलाधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्राचार किया जाए कि अभी तक अतिक्रमण के संबंध में जितने भी कार्य सम्पन्न है, उसका विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर लें, ताकि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समीक्षा बैठक में उपलब्ध कराया जा सके।

<u>भूमि हस्तांतरण</u> :- समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि किस-किस पदाधिकारी के यहां भूमि हस्तांतरण संबंधी मामला लंबित है, तो कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ग्वालपाड़ा प्रखण्ड के झंझरी पंचायत में निर्मित पंचायत सरकार भवन संबंधी भूमि हस्तांतरण का मामला लंबित है।

इसी प्रकार सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि बिहारीगंज प्रखण्ड में डाटा सेन्टर हेतु जमीन की आवश्यकता है।

सिविल सर्जन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उदाकिशुनगंज में ए0एन0एम0 स्कूल के लिए जमीन की आवश्यकता है।

सहायक अभियंता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दीन दयाल ज्योति उपाध्याय के लिए आलमनगर के गंगापुर, बिहारीगंज के बभनगामा, उदाकिशुनगंज के शहजादपुर, मधेपुरा में धुरगांव एवं मानिकपुर तथा मुरलीगंज में पोखराम परमानंदपुर में जमीन की आवश्यकता है।

बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, सहरसा द्वारा बताया गया कि भागलपुर जाने वाले रास्ते में जमीन संबंधी मामला लंबित है।

श्रम अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मजदूरों के लिए मजदूर शेड हेतु जमीन की आवश्यकता हैं। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी, मधेपुरा से सम्पर्क स्थापित कर सरकारी जमीन चिन्हित कर अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई करते हुए लेबर शेड का निर्माण तत्काल नियमानुसार प्रारंभ करें एवं अनुपालन से अगली सोमवारीय बैठक में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

<u>अभियान बसेरा</u> :- प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व द्वारा बताया गया कि अभियान बसेरा के तहत् कुछ बांकी है, शेष का वितरण कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि दिनांक 30-06-2016 तक शत-प्रतिशत वितरण कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

<u>कृषि गणना</u> :- जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि कृषि गणना की क्या स्थिति है, तो उनके द्वारा संतोषजनग उत्तर नहीं दिया जा सका। बताया गया कि दिनांक 16-06-2016 तक अंतिम तिथि निर्धारित है। निदेश दिया गया कि सभी संबंधितों को पत्राचार करें एवं कृषि टास्क फोर्स की बैठक में वांछित प्रपत्र लेकर आने हेतु निदेशित करें।

<u>रिटर्न</u> :- बताया गया कि कुछ अंचलों से वांछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब संबंधित अंचलों से प्राप्त करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

2.	(डी0सी0 बिल) कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा	समीक्षा के क्रम में कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि डी0सी0 बिल का शत-प्रतिशत मिलान हुआ अथवा नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 04-06-2016 को अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी का डी0सी0 बिल मिलान करने का समय निर्धारित था, किन्तु कृषि विभाग के किसी भी कर्मी के नहीं आने के कारण उक्त मिलान नहीं हो सका। उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 06-06-2016 को कृषि विभाग का समय निर्धारित है तथा इसी प्रकार प्रत्येक दिन को किसी न किसी विभाग का समय निर्धारित है। कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिस तिथि को जिस विभाग का डी0सी0 विपत्र मिलान करने का तिथि निर्धारित हो, उसे एक दिन पूर्व संबंधित पदाधिकारी को दूरभाष के माध्यम से सूचित करें।
3.	आपदा (प्रभारी पदाधिकारी, आपदा)	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा को निदेश दिया गया कि किन-किन अंचलाधिकारी के पास आपदा की राशि शेष बची हुई है, उन सभी को पत्राचार किया जाए एवं आगामी आयोजित अंचलाधिकारियों की बैठक में बैंक स्टेटमेन्ट के साथ आने हेतु निदेशित करें। यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक 27-04-2016 को बाढ़ की पूर्व तैयारी हेतु आयोजित बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन सभी संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि मार्च, 2016 तक का सभी डी0सी0 विपत्र विभाग को ससमय भेजना सुनिश्चित करें।
4.	पी0एच0ई0डी0 (कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा)	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक सोमवारीय बैठक में सात निश्चय संबंधी बिन्दुओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। **शौचालय निर्माण** :- कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण संबंधी प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि पी0एच0ई0डी0 अन्तर्गत 46 योजनाओं एवं मिनी जलापूर्ति योजना का विस्तृत प्रतिवेदन आगामी सोमवारीय बैठक के पूर्व उपलब्ध करावें तथा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से बिहार विकास मिशन को भी एक प्रति भेजने हेतु पत्र निर्गत करें।
5.	(ग्रामीण विकास विभाग) उप विकास आयुक्त	**इंदिरा आवास** :- उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 4443 लाभुक हैं, जिसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अपने स्तर से साप्ताहिक समीक्षा करें। इंदिरा आवास की समीक्षा बैठक में सभी संबंधितों को बुलावें तथा संबंधित इंदिरा आवास सहायक को लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि हेतु निदेशित करें। साथ ही वैसे इंदिरा आवास सहायक जिनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाती है अथवा लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है, तो उसे चिन्हित करते हुए संविदा समाप्ति की दिशा में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करें। **13वीं वित्त आयोग** :- जिलाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त से अनुरोध किया गया कि 13वीं वित्त, चतुर्थ वित्त आयोग आदि संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति लायी जाए।